**संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2022)**

संख्या-7/2022/715 /90-सं-2-2022

प्रेषक,

**जे०पी० सिंह-।।**
**प्रमुख सचिव**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

सेवा में,

1-समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
2-निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**संसदीय कार्य अनुभाग-2** **लखनऊ :दिनांक 16 नवम्बर, 2022**

विषय: संविधान दिवस 26 नवम्बर, 2022 के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

संविधान दिवस (26 नवम्बर, 2022) के अवसर पर प्रदेश में विविध कार्यक्रम आयोजित किये जाने के संबंध में संसदीय कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-703/90-सं-2-2022, दिनांक-14 नवम्बर, 2022 एवं सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-19022/07/2017-एस सी डी-VI दिनांक 11 नवम्बर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे मंत्रिमण्डल सचिव, भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-701/2/2/2022-सीए.वी दिनांक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा संविधान दिवस(दिनांक 26 नवम्बर, 2022) के अवसर पर निम्नवत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाने की अपेक्षा की गयी है:-

(1) दिनांक 26 नवम्बर, 2022 को पूर्वान्ह 11:00 बजे संविधान की प्रस्तावना का पाठन किया जाय।

(2) संविधान दिवस के अवसर पर अपने अधीनस्थ कार्यालयों,स्वायत्तशासी निकायों/संगठनों, स्थानीय निकायों एवं शैक्षणिक संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके विविध कार्यक्रम आयोजित किया जाय।

(3) संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के संवैधानिक मूल्यों एवं मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित वाद-विवाद प्रतियोगिता,वेबिनार,गोष्ठी आदि का भी आयोजन किया जाय।

2- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार के पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2022 द्वारा किये गये अपेक्षानुसार संविधान दिवस के अवसर पर अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने एवं संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह/कार्यक्रम के फोटोग्राफ सहित भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जिनके द्वारा संविधान दिवस के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में समन्वय का कार्य किया जा रहा है, को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति शासन के संसदीय कार्य विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
**जे०पी० सिंह-।।**
**प्रमुख सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-7/2022/715 (1)/90-सं-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार को उनके पत्र दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 संसदीय कार्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0 शासन (नोडल विभाग)।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

**ज्ञान प्रकाश ।।।**

**विशेष सचिव।**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।